विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं जिनमें सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा, श्रम विभाग से संबंधित एक अनुपालन लेखापरीक्षा तथा ऊर्जा विभाग से संबंधित एक वृहद कंडिका के परिणाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदन में लोक निर्माण विभाग से संबंधित एक लेखापरीक्षा कंडिका शामिल है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है। लेखापरीक्षा के नमूने बहुस्तरीय स्तरीकृत नमूनाकरण, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि के आधार पर लिये गये हैं। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षाओं में किया गया है। राज्य सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा अनुशंसाएं की गयी हैं।

अध्याय I

यह अध्याय सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रियाओं के साथ–साथ लेखापरीक्षा की योजना और सीमा तथा विभागों के खर्च पर एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्याय II

यह अध्याय छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है। मिशन को जून 2015 में शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह श्रेणियों से संबंधित स्लमों में रहने वालों और अन्य लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से चार घटकों के माध्यम से शुरू किया गया था:

- **भागीदारी में किफायती आवास–** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवासों का निर्माण ₹ 1.50 लाख की केंद्रीय सहायता, ₹ 2.50 लाख की राज्य सहायता और ₹ 0.75 लाख हितग्राही अंशदान से किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक या निजी क्षेत्र शामिल होते हैं।
- **हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण–** हितग्राहियों को नए आवास या नवीनीकरण के लिए केंद्र से ₹ 1.50 लाख, राज्य से ₹ 0.85 लाख मिलता है और हितग्राही ₹ 0.86 लाख का योगदान करता है।
- **स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास–** स्लम हाउसिंग को एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके पुनर्विकसित किया जाता है, जिसमें प्रति आवास ₹ 1.00 लाख की केंद्रीय सहायता, ₹ 0.75 लाख के हितग्राही अंशदान और ₹ 3.75 लाख की सार्वजनिक निजी भागीदारी हिस्सेदारी होती है।

- **ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम–** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह–I और II हितग्राहियो के लिए ₹ 6, 9 एवं 12 लाख की ऋण राशि पर क्रमशः 6.5, 4 एवं 3 प्रतिशत की होम लोन ब्याज सब्सिडी। ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम को केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में लागू किया गया।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा परियोजनाओं की योजना और निष्पादन की पर्याप्तता का आंकलन करने के लिए आयोजित की गई थी, और योजना के लिए निधि प्रबंधन, प्रत्येक घटक में विवेक के तहत हितग्राही पहचान प्रणाली की मजबूती के साथ–साथ योजना में अंतर्निहित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आयोजित किया गया था।

राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति और केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा 36 और 132 शहरी स्थानीय निकायों के लिए सभी के लिए आवास कार्य योजना क्रमशः अप्रैल 2018 और फरवरी 2022 में तैयार और अनुमोदित (अगस्त 2020 और फरवरी 2022) किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी के लिए आवास कार्य योजना में योजना के चार घटक (भागीदारी में किफायती आवास– 1.70 लाख, व्यक्तिगत आवास का निर्माण– 2.57 लाख, स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास– 0.27 लाख और ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम– 0.46 लाख) के तहत पांच लाख आवासीय इकाइयों की कुल मांग का अनुमान लगाया गया था हालांकि, 2.49 लाख आवासीय इकाइयों (मांग का 50 प्रतिशत) भागीदारी में किफायती आवास (0.38 लाख) और बीएलसी (2.11 लाख) के तहत निर्माण के लिए लिया गया था, जिसमें से 2.07 लाख आवासीय इकाइयों (भागीदारी में किफायती आवास–0.23 लाख और हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण–1.84 लाख) अप्रैल 2025 तक पूर्ण कर लिया गया था। ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम के तहत 0.37 लाख के सब्सिडी दावों को भी मंजूरी दी गई।

हितग्राहियों की पहचान और चयन

राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा आवास कार्य योजना की तैयारी और अनुमोदन में देरी हुई थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत 1.48 लाख आवासीय इकाइयों की परियोजनाओं को कार्य योजना तैयार किए बिना और लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दिए बिना मंजूरी दी गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति के अनुमोदन के लिए हितग्राहियों की सूची संलग्न किए बिना या हितग्राही डेटा के सत्यापन/मान्यकरण के बिना हितग्राहियों की संभावित सूची संलग्न किए बिना प्रस्तुत की गई थी।

सभी के लिए आवास कार्य योजना के साथ जुड़े और प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज चिन्हित हितग्राहियो का प्रारंभिक मांग सर्वेक्षण डेटाबेस मूल डेटाबेस में निरंतर अद्यतन (जोड़/विलोपन) के कारण उपलब्ध नहीं था। जिसके कारण मूल रूप से चिन्हांकित हितग्राहियो को प्राप्त योजना लाभ को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

पिछली योजनाओं के तहत शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध खाली आवास स्टॉक का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी के दौरान इन पर विचार नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रबंधन सूचना प्रणाली को न जोड़ने के कारण 99 हितग्राहियो ने दोनों योजनाओं का लाभ उठाया है। एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत पहले ही लाभान्वित हो चुके 35 हितग्राहियो ने योजना के हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत पुनः लाभ उठाया।

चार शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिक निगम बिलासपुर, रायपुर, कोरबा और नगर पंचायत, प्रेमनगर) में लेखापरीक्षा में पाया गया कि 71 हितग्राहियों का चयन किया गया जिनकी आय ₹ 3.00 लाख से अधिक थी और उन्हें हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण/भागीदारी में किफायती आवास के तहत आवास/आवासीय इकाइयाँ आवंटित किए गए थे। शहरी स्थानीय निकायों ने हितग्राहियों के नाम पर भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण के तहत 250 हितग्राहियों को ₹ 4.05 करोड़ की सहायता का भुगतान किया।

जारी राशि

राज्य सरकार द्वारा ₹ 3,291.60 करोड़ के भारत शासन के अंशदान के विरुद्ध बजट के माध्यम से ₹ 594.85 करोड़ का अंशदान दिया गया और ₹ 1,554.57 करोड़ के बराबर राज्य के अंशदान को राज्य शहरी विकास एजेंसी द्वारा राज्य सरकार की गारंटी के विरुद्ध लिए गए ऋण से प्राप्त किया गया है। वर्ष 2016–17 से 2023–24 के दौरान इस योजना के तहत ₹ 5,175.09 करोड़ का व्यय किया गया था।

केंद्रीय सहायता, एकल नोडल एजेंसी को विलंब (14 से 251 दिन) के साथ हस्तांतरित की गई, जिससे शहरी स्थानीय निकायों को राशि के वितरण में विलंब हुआ।

योजना के विभिन्न घटक के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

भागीदारी में किफायती आवास

वर्ष 2015–16 से 2023–24 की अवधि के दौरान भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत कुल स्वीकृत 75,164 आवासीय इकाइयों में से 37,067 आवासीय इकाइयों में कटौती/समर्पण किया गया है। शेष 38,097 आवासीय इकाइयों में से केवल 23,242 आवासीय इकाईयाँ अप्रैल 2025 तक पूर्ण किए गए थे।

भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत पूर्ण किए गए आवासीय इकाइयों में से 6,888 आवासीय इकाइयों स्लम निवासियों को आवंटित किए गए थे, जबकि 10,903 आवासीय इकाइयों स्लम निवासियों के लिए केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की स्वीकृति के बिना पात्रता मानदंड को संशोधित करके गैर–स्लम निवासियों को 'मोर मकान मोर आस' के तहत आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, मोर मकान मोर आस योजना के तहत ₹ 0.75 लाख प्रति आवासीय इकाइयों के अंशदान के अलावा हितग्राहियों से राज्य के अंशदान (₹ 2.50 लाख) का हिस्सा भी वसूल किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्लम निवासियों को आवंटित आवासीय इकाइयों के मुकाबले शहरी स्थानीय निकाय केवल ₹ 22.13 करोड़ की वसूली कर सका और ₹ 17.23 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं की जा सकी (मार्च 2025)। वसूली न होने का मुख्य कारण हितग्राहियों के अंशदान की लिखित सहमति का अभाव और डीपीआर तैयार करने के चरण में पात्र हितग्राहियों की संलग्नक न होना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आवासीय इकाइयों को पूर्ण करने में विलंब हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 230.05 करोड़ की योजना निधि अवरुद्ध हो गई। आवासीय इकाइयों के पूर्ण होने में विलंब मुख्य रूप से निधि की कमी, कोविड महामारी और काम की धीमी प्रगति के कारण हुई। अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनियमित संवितरण और मोबिलाईजेशन अग्रिम राशि की वसूली न होने के कारण ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया।

हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण

हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण में कुल स्वीकृत 2.77 लाख आवासों में से 66,383 आवासों की कटौती/समर्पण किया गया था, और बकाया 2.11 लाख आवासों में से 1.84 लाख आवासों को अप्रैल 2025 तक पूर्ण किया गया था।

हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत, अयोग्य हितग्राहियो के चयन, निर्धारित लेआउट से परे आवासो का निर्माण, आवास के साथ दुकानों का निर्माण, भूमि के स्वामित्व के बिना आवास की मंजूरी और हितग्राहियो द्वारा निर्माण के बाद किसी तीसरे व्यक्ति को आवास/आवासीय इकाइयों की बिक्री के कुछ उदाहरण थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ मामलों में निर्माण के विभिन्न चरणों के लिए किश्तों को संबंधित चरण के निर्माण और जियो–टैगिंग को पूर्ण किए बिना जारी किया गया था, जबकि अन्य मामलों में आवासो के पूर्ण होने के बाद अंतिम किस्त जारी करने में देरी हुई थी।

स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास

स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास के तहत 5,946 आवासीय इकाइयों के लिए सभी परियोजनाओं को लागू नहीं किया जा सका और निजी भागीदारी की कमी के कारण कटौती/समर्पण किया गया। इस प्रकार, स्लम क्षेत्रों के हितग्राही परियोजनाओं में कटौती के कारण योजना के लाभ से वंचित हुये।

ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम

ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम के तहत हितग्राहियों द्वारा जमा किए गए कुल 2.49 लाख सब्सिडी दावों में से केवल 37,374 दावों को मंजूरी दी गई, जिसके लिए वर्ष 2016–17 से 2022–23 के दौरान सब्सिडी के रूप में ₹ 820.93 करोड़ की राशि जारी की गई। 29 हितग्राहियों ने योजना के तहत ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम के साथ–साथ हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण/भागीदारी में किफायती आवास वर्टिकल्स के तहत दोहरे लाभ का लाभ उठाया।

निगरानी और मूल्यांकन

लेखापरीक्षा ने हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासो के निर्माण के संबंध में विभाग के निगरानी तंत्र में खामिया पायी जैसे कि बेमेल और अन्य हितग्राहियो के आवासो की तस्वीरें विभिन्न निर्माण चरणों की जियो–टैगिंग के लिए उपयोग, स्थल निरीक्षण के दौरान अपूर्ण पाए गए आवासो के पूर्ण होने के चरण के लिए अनियमित जियो–टैगिंग आदि, स्वतंत्र सुविधा एजेंसी की नियुक्ति में देरी के परिणामस्वरूप सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने में देरी हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संपत्ति के स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर योजना के मजबूत जोर के बावजूद, बड़ी संख्या में महिला सदस्यों को वांछित लाभ नहीं मिला क्योंकि वर्ष 2016–17 से 2023–24 की अवधि के दौरान महिला हितग्राहियों के नाम पर केवल 50 प्रतिशत आवास स्वीकृत किए गए थे, जो योजना के लक्ष्यों से कम है।

राज्य सरकार कर सकती है

- ***शेष आवासो के निर्माण में तेजी लाएं और उन्हें पूर्ण करने के लिए एक ठोस समय सीमा निर्धारित करें ताकि सभी हितग्राहियों को बिना किसी देरी के उनके आवास मिल सकें।***

- ➢ *आवासो के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य के हिस्से को जारी करने और कार्यान्वयन एजेंसियों/शहरी स्थानीय निकायों और हितग्राहियों को निधि के हस्तांतरण में समयबद्धता सुनिश्चित करना।*
- ➢ *सुनिश्चित करें कि मूल रूप से चिन्हांकित पात्र स्लम निवासियों को प्रगतिशील परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर आवास के आवंटन की सुविधा प्रदान करके योजना के तहत लाभान्वित किया जाए।*
- ➢ *दो आवासीय योजनाओं के तहत या एक योजना के दो घटको में एक हितग्राही को दोहरे लाभ को रोकने के लिए निगरानी/नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना।*
- ➢ *निर्दिष्ट पात्र हितग्राहियों को निधि जारी करने से पहले आवास इकाइयों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जियो–टैगिंग अनुपालन को लागू करना।*
- ➢ *हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासो की जियो–टैगिंग से पहले सहायता को गलत तरीके से जारी करने और जियो–टैगिंग में अन्य अनियमितताओं के लिए गलती करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करें जैसा कि पैराग्राफ क्रमांक 2.1.6.4, 2.1.7.4, 2.1.8.9, 2.1.8.12 और 2.1.9.1 में सम्मिलित किया गया है।*
- ➢ *अनियमित भुगतान और ठेकेदार से मोबिलाईजेशन अग्रिम राशि की वसूली न किये जाने के लिए गलती करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करें।*
- ➢ *महिला सशक्तिकरण के योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए महिला सदस्य के नाम पर आवास आवंटित/स्वीकृत करके महिला हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि करना।*

(अध्याय II)

अध्याय III

यह अध्याय श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा सौर पंपों की स्थापना पर एक वृहद कंडिका और लोक निर्माण विभाग से संबंधित एक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका के परिणामों से संबंधित है। इस अध्याय में दर्शाए गए लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

(i) श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए श्रम अधिनियमों/कानूनों के प्रवर्तन और श्रमिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से संगठित तथा साथ ही असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनके आर्थिक, भौतिक और सामाजिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग है। भारत सरकार के असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत, छत्तीसगढ़ शासन ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत ''असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल'' का गठन (जनवरी 2011) किया। ''असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल'' असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

वहीं दूसरी ओर, 10 या अधिक श्रमिकों वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों में संलग्न श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधान के अधीन छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का गठन (फरवरी 2001) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा इस क्षेत्र के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया था।

श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि के लिए 10 चयनित जिलों में 10 कल्याणकारी योजनाओं (असंगठित क्षेत्र से सात एवं संगठित क्षेत्र से तीन) की जांच करके किया गया। चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 506 श्रमिकों का हितग्राही सर्वेक्षण भी किया गया था।

असंगठित और संगठित क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयनः लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल को आवंटित ₹ 329.41 करोड़ में से ₹ 210.75 करोड़ (64 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा ₹ 44.86 करोड़ की उपलब्ध निधि में से केवल ₹ 21.27 करोड़ व्यय किया गया। असंगठित क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ राज्य के 76.33 लाख श्रमिकों को भारत सरकार के ई–श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसमें से केवल 16.62 लाख (22 प्रतिशत) श्रमिकों को छत्तीसगढ़ श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत किया गया था, जबकि संगठित क्षेत्र में 8 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 2.05 लाख (26 प्रतिशत) श्रमिकों को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पंजीकृत किया गया था।

यह इंगित करता है कि सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ, जो योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रभावी ढंग से लागू नहीं की गई।

यह देखा गया कि विवाह सहायता, सायकल वितरण, सिलाई मशीन, औजार, उपकरण, आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगातार व्यय नहीं किया गया था, जबकि असंगठित और संगठित क्षेत्र के कुल 50 योजनाओं में से 10 (स्मार्ट वेंडिंग कार्ट के लिए सहायता, ई–ठेला सहायता योजना, सफाई कर्मकार हेतु ओपीडी उपचार, ठेका मजदूर और हमाल कामगार हेतु ओपीडी उपचार, मुख्यमंत्री सायकल रिक्शा, निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/श्रवण यन्त्र वितरण, निःशुल्क सायकल वितरण, स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर तथा निःशुल्क चश्मा वितरण, कर्मकारों हेतु आकस्मिक मृत्यु सहायता और कर्मकारों हेतु खेल प्रतियोगिताएं) में वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था। आगे, 17 योजनाओं में, वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान केवल 12.42 लाख श्रमिकों को लाभान्वित किया गया, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के कवरेज में कमी को इंगित करता है। सायकल वितरण योजना के लिए सायकलों के क्रय में अनियमितताएं पाई गईं क्योंकि रायपुर जिले में 695 सायकलें श्रमिकों को छः वर्षों तक अवितरित रही। कमियां जैसे ई–रिक्शा के क्रय के लिए वित्तीय सहायता जारी करने में विलंब, सायकल वितरण योजनाओं के लिए खरीदी गई सायकल का वितरण न करना, सफाई कर्मकार को प्रत्येक वर्ष आवश्यक उपकरण और सुरक्षात्मक गियर उपलब्ध न कराना एवं शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना में विभिन्न केंद्रों पर नियमित रूप से भोजन का वितरण नही किया जाना पाई गईं।

शासन यह सुनिश्चित कर सकती हैः

- ***श्रमिकों के लाभ के लिए आबंटित धन का बेहतर उपयोग।***
- ***क्रय की गई सायकल और अन्य उपकरण/सुरक्षात्मक गियर/सामग्री आदि के वितरण में विफल रहने वाले दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करना।***

- ***आईटी श्रम पोर्टल पर शेष एवं योग्य श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए विशिष्ट उपाय और विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं तथा इन योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में श्रमिकों को शिक्षित करने एवं जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करना।***
- ***बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं निगरानी के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल पंजीकरण एवं हितलाभ वितरण हेतु मौजूदा पोर्टल में एक सुदृढ़ आईटी उप–मॉड्यूल बनाया जा सकता है।***

(कंडिका 3.1)

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से सौर पंपों की स्थापना पर वृहद कंडिका

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से सौर पंपों की स्थापना की लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के उद्देश्य से किया गया था कि क्या योजना के दिशानिर्देशो के अनुसार राज्य के दूरस्थ, बिखरी हुई तथा विद्युतविहीन क्षेत्रों में लघु सिंचाई एवं पेय जल आपूर्ति हेतु सौर पंपों की स्थापना मितव्ययिता, कुशलता और समयबद्ध तरीके से की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ने सौर सुजला योजना के अंतर्गत योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत एसी पंपो के स्थान पर महंगे डीसी सौर पंपों की स्थापना की अनुमति दी, परिणामस्वरूप सौर पंपों की स्थापना से संबंधित कार्यों पर अतिरिक्त लागत आई। योजना के दिशानिर्देश और दर अनुबंध के दायरे के अनुसार, नलकूपों में सौर पंपों की स्थापना से पहले सौर पंप की क्षमता निर्धारण हेतु उसकी नलकूप से पानी निकालने की मात्रा (यिल्ड) का परीक्षण किया जाना था। वर्ष 2016–23 के दौरान, सिस्टम इंटीग्रेटर्स ने 90,130 सौर सबमर्सिबल पंपों को नलकूपों में बिना यिल्ड परीक्षण किए स्थापित किया। इसके अलावा, कुओं में जल की गहराई पर विचार किए बिना सतही पंपों के स्थान पर कुओं में महंगे सौर सबमर्सिबल पंपों की स्थापना की गई, परिणामस्वरूप ₹ 9.70 करोड़ की अपरिहार्य अतिरिक्त लागत आई। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ने सिस्टम इंटीग्रेटर्स के देयकों से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु श्रमिक उपकर की कटौती नहीं की थी।

- ***यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित जल स्रोतों में स्थापित किए जाने वाले सौर पंपों का उपयुक्त प्रकार एवं श्रेणी निर्दिष्ट करते हुए तथा योजना के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को स्पष्ट दिशानिर्देश बनाना चाहिए।***

(कंडिका 3.2)

(iii) ठेकेदार को अनुचित लाभ पर लेखापरीक्षा कंडिका

कठोर चट्टान को सामान्य चट्टान के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण शासन को ₹ 2.02 करोड़ का नुकसान और तटबंध कार्य के लिए ठेकेदार को ₹ 1.19 करोड का अतिरिक्त भुगतान।

(कंडिका 3.3)